



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बालश्रम के सम्पूर्ण उन्मूलन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा किये गए प्रयासों का सामाजिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन

Shekhar Sharma

Research Scholar

SSJ Campus Law Faculty Almora

Kumaon University, Nainital, Uttarakhand

सार:

बालश्रम के सम्पूर्ण उन्मूलन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा किये गये प्रयासों का एक सामाजिक व विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर इस शोध पत्र के माध्यम से बालकों को उनका सर्वणिम बचपन लौटाने के लिए विश्व के प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा जो भी प्रयास किया गया वह एक सराहनीय कदम रहा है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संध ने सभी प्रकार के बेगार श्रम को सभी रूपों में रोक लगाने की बात कही है चाहे उसकी प्रकृति कैसी ही हो। जिससे की बच्चों की सामूहिक सौदेबाजी को रोका जा सके व बाल कल्याण व बच्चों के 14 वर्ष तक कार्यस्थल पर काम करने को मनाही की बात करता है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण एवं विकास बैंक ने भी बालश्रम को भारत के लिए अपने एजेन्ट में प्रमुखता प्रदान की है। तथा भारत में बालश्रम के बढ़ते आँकड़ों ने भारत के सन्दर्भ में विश्व बैंक की सहयोगात्मक कियाशीलता को और भी बढ़ा दिया गया है। जनवरी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 10.1 मिलियन बच्चे कार्यरत है तथा इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) का भी मूल उद्देश्य शान्ति एवं सुरक्षा तथा यह संस्था अपना नैतिक कर्तव्य का अनुपालन करते हुए युनेस्को ने भी बच्चों के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक देखभाल की बीड़ा उठाया। इस प्रकार विश्व व्यापार संगठन विश्व भर में विभिन्न स्वरूपों में बालश्रम की मौजूदगी के कारण सभी पर एक ही तरह का सख्त मानक बनाने का सुझाव दिया। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को सदस्य देशों और सभी लोगों के लिए उपलब्ध यह कि बच्चों की सुविधा व सहायता तथा विशेष सुरक्षा का प्रबन्ध करें। तथा महासभा के द्वारा 20 नवम्बर 1959 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वसम्मति से बच्चों के अधिकारों से सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकार किया तथा मानव के मूलभूत अधिकारों में बच्चों की गरिमा एवं महत्व के प्रति अपने विश्वास को पुनः दुहराया गया इस प्रकार इस शोधपत्र के माध्यम से शोधकर्ता ने बालश्रम को विभिन्न कन्वेंशन व संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किये गये प्रयासों का वर्णन प्रस्तुत इस लघु शोध में किया है।

मुख्य शब्द:- बालश्रम, उन्मूलन, कन्वेंशन, विश्व बैंक, युनेस्को आदि।

1. परिचय:

शरीर या मानव मन के वे सभी प्रयास जो इस इनाम की आशा से किया जाता है वो श्रम कहलाता है। बालश्रम के अन्तर्गत ऐसा काम उन बच्चों से करवाया जाता है जिससे उसके बचपन से वंचित कर देता है जो उसकी क्षमता और गरिमा तथा शारीरिक व मानसिक उन्नति के लिए हारिकारक होता है। बालश्रम आज के युग के लिए कोई नई समस्या नहीं है, यह एक सामाजिक समस्या है। जो कि पुरे विश्व में विद्यमान है। औद्योगिक क्रांति के दौरान उत्पादन की विधा में मौलिक परिवर्तन आया। मानव शक्ति का उपयोग मशीनरी के रूप में किया जाने लगा, और मानव शक्ति श्रमिक के रूप में विकसित हो गयी जिसका शारीरिक विकास अभी अधूरा है, लेकिन उसके अंग अधिक कोमल है। महिलाओं और बच्चों के श्रम की माँग पूँजीपतियों द्वारा की गई है ताकि इनका इस्तेमाल मशीनरी के रूप में किया जा सके। इस प्रकार बालक सदैव से ही एक प्रतिनिधित्व मौन अल्पसंख्यक वर्ग रहा है। वे इतिहास के उन कुछ ऐसे वर्गों में से हैं जिन्हें मार्टिन लूथर किंग जार्ज ने भी बॉडीज कोई नहीं के रूप में इंगित किया है प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ स्वयं सेवी संस्थाएँ बालकों के अधिकारों के प्रति जागरूक हुईं और सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों के संरक्षण का विकास 1924 राष्ट्र संघ के तत्वाधान में प्रारम्भ हुआ जब जेनेवा घोषण पत्र अंगीकृत किया गया सर्वप्रथम राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों को मान्यता प्रदान करते हुए घोषणा यह कि अगर बच्चों के अधिकारों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करते उनकी प्रति सामाजिक बुराइयों के यथा दासता, बालश्रम, अवयस्कों के साथ होने वाले यौन शोषण एवं अत्याचार के विरुद्ध विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने लोगों के मूलभूत मानव अधिकारों जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा और महत्व में अपनी निष्ठा व्यक्त की। इस प्रकार निःसन्देह रूप से प्रत्येक गरिमा में बच्चों भी सम्मिलित है। तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानव कल्याण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा मानव अधिकारों के लिए किसी भी प्रकार के जाति, लिंग भाषा, या धर्म पर आधारित भेदभाव के बिना सबके मौलिक स्वतन्त्रता के लिए आदर की भावना को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना होगा यह भी सुरक्षा की परिधी में निःसन्देह रूप से बच्चे भी आते हैं।

2. बालश्रम उन्मूलन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा किये गए प्रयास:

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वर्साय की सन्धि के भाग के रूप में सन् 1999 में स्थापित किया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, रोजगार की न्युनतम आयु बालश्रम उन्मूलन को महिलाओं एवं पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार श्रमिकों को मिले बाल कल्याण और मातृत्व सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। महिला एवं बाल श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्य करना तथा उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करना ही अन्तर्राष्ट्रीय श्रम- संगठन का मुख्य उद्देश्य था। बालश्रम उन्मूलन के लिए विभिन्न प्रकार के लिए कन्वेंशन किए गए हैं जो इस प्रकार हैं।

- (1) **बालश्रम सम्बन्धी कन्वेंशन संख्या 5 न्युनतम आयु (उद्योग) 1999** - इस प्रकार आई0 एल0 ओ0 की प्रथम सत्र वाशिंगटन डी0 सी0 में हुई जिसमें 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी सार्वजनिक या निजी प्रपिष्ठान में नियोजित नहीं किए जाने थे। इस कन्वेंशन का मुख्य बात यह था कि बच्चों की निधारित आयु 44 वर्ष निर्धारित किया गया।
- (2) **कन्वेंशन संख्या 6 उद्योग 1999** - इस अभिसमय में 8 वर्ष से कम आयु के नवयुवक को किसी भी प्रकार के सार्वजनिक या निजी उपक्रमों में रात में काम करने को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- (3) **कन्वेंशन संख्या 16 चिकित्सा परीक्षण नवयुवकों का समुद्र अभिसमय 1921** - इस अभिसमय में समुद्री कार्य सम्बन्धी कार्य के नियोजन में बच्चों के व नवयुवकों के लिए चिकित्सा परीक्षण अनिवार्य बना दिया गया और बालकों को जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, उनका सामार्थ्य-प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य बना दिया गया।

- (4) **कन्वेंशन संख्या 29 बेगार श्रम 1930** - इस कन्वेंशन में बच्चों से बेगारी लिये जाने वाली प्रथा को एक सामाजिक बुराई मानकर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 1930 में बेगार श्रम उन्मूलन कन्वेंशन का आये जन जेनेवा में करवाया जिसमें बेगारी प्रथा को सम्पूर्ण उन्मूलन के बारे में समस्त देशों ने अपनी संकल्पों में समाप्ति की बात कही।
- (5) **कन्वेंशन संख्या 33 न्युनतम उम्र (गैर - औद्योगिक नियोजन) 1932** - इस कन्वेंशन में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन गैर- औद्योगिक रोजगारों में प्रतिबंधित कर दिया गया तथा खदान के अन्दर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति की आयु 16 वर्ष से कम को प्रतिबंधित कर दिया गया।

3. बालश्रम उन्मूलन के एक्शन कार्यक्रम:

इस कार्यक्रम को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बालश्रम की एक सामाजिक बुराई को मुख्य रूप से समाप्त करने के लिए प्रारम्भ किया गया। “आईपेक कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित है। जो इस प्रकार है।

- (1) बालश्रम के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कियाशील गतिविधि को और दृढ़ता प्रदान करना।
- (2) निवेदन करने पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सभी सदस्य राष्ट्रों को तकनीकों सहयोग प्रदान करना।

“आईपेक ” कार्यक्रम दृढ़तापूर्वक विश्वास रखता है। कि बालश्रम का प्रभावशाली ढंग से उन्मूलन धीरे-धीरे किया जा सकता है आईपेक शासन श्रमिकों नियोजकों संगठनों गैर -सरकारी संस्थाओं शिक्षाविदों बच्चों एवं उनके माता-पिता का आह्वान करता है। कि वे सभी में सम्मिलित रूप से इस अत्यधिक दोषपूर्ण बालश्रम की समस्या के निम्नलिखित क्षेत्रों में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करे। जिससे कि बालश्रम की जो समस्या है। उससे जल्द समाज को छुटकारा मिल सके।

4. बालश्रम उन्मूलन के लिए युनिसेफ के द्वारा किये गये प्रयास:

बालश्रम उन्मूलन की दिशा में युनिसेफ ने एक ऐतिहासिक पहल की तथा यह एक ऐसी शान्तिप्रिय व क्रांतिकारी एक संगठन है। जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन् 1946 में यूरोप में के बच्चों का आपात राहत मुहैया कराने के लिए की गई थी। इसके सहयोग कार्यक्रम कुल 138 देशों में चल रहे हैं।

युनिसेफ बालश्रम उन्मूलन के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को महत्वपूर्ण समर्थन एवं सहयोग प्रदान करती है। युनिसेफ प्रत्यक्ष रूप से बालश्रम उन्मूलन में संलग्न नहीं है। और कहा जाय तो बाल श्रमिकों की खतरनाक एवं गैर-खतरनाक कामों से मुक्त कराने में यह प्रत्यक्ष रूप जुड़ी नहीं है। लेकिन इन बाल श्रमिकों के लिए जो पूर्वास कार्यक्रम और विशेषकर विशेष विधालयों एवं अन्य पुर्नवास सह- कल्याण केन्द्रों को सहयोग एवं आवश्यक समर्थन प्रदान करना है युनिसेफ का यह विश्वास है कि प्रत्येक बच्चे कि अपनी बचपन जीने तथा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और बाल मजदुरी को मुख्यतः सभी बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराकर समाप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रत्येक बच्चे के काम करने की स्थिति को सुधारने के कल्याणकारी उपाय इस कुप्रथा को अभयदान देकर शाश्वत ही बनाते हैं। और उसे बचाना चाहिए। बाल अधिकार प्रदान करना , बालश्रम उन्मूलन सम्बन्धी उपाय बताना इत्यादि।

5. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की परिपाटियों की कसौटी पर भारत:

भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में भारतवर्ष पर निम्नलिखित कर्तव्य अधिरोपित किए गए कि –

(क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करे

(ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने

(ग) संगठित लोगों के एक दुसरे के व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के बीच आदर बढ़ाने का है।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा¹

अन्तर्राष्ट्रीय करारों को स्वीकार करने के पश्चात् प्रत्येक राष्ट्र का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उन नियमों के समुचित क्रियान्वन की व्यवस्था करें। बशर्ते कि यदि उपरोक्त समझौते निम्नलिखित में बाधा उत्पन्न न करे।

(क) यदि नागरिकों के न्याय अधिकार को प्रभावित न करें।

(ख) राज्य में पूर्व प्रचलित कानून का पुनसुधार।

(ग) व्यक्तिगत सम्पत्ति स्वतन्त्रता जिसे संविधान ने प्रदान किया है। यदि वह प्रभावित होता है। तो राष्ट्र अपना व्यक्तिगत कानूनों को लागू करने के लिए स्वतंत्र है।

(घ) यदि भारतीय कोष से किसी विदेशी राष्ट्र को धन देने सम्बन्धी बात हो तो वहाँ राष्ट्र अपना व्यक्तिगत कानून लागू करने के लिए स्वतंत्र है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की न्यूनतम आयु, स्वास्थ्य परीक्षण तथा रात्रि में बच्चों के नियोजन के सम्बन्ध में प्रतिपादित मानक नियमों के पालन का भारत ने सदैव ही यथासम्भव प्रयत्न किया। नियोजन की न्यूनतम आयु विषयक समझौते के आधार पर भारत सरकार ने वर्ष 1974 ई0 में बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय नीति के अर्न्तगत यह कहा गया कि राज्य सरकार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था आय के स्रोतों के आधार पर समयावधि के बीच करेंगे। विधालयों में समाज के गरीब बालक और बालिकाओं के शिक्षा और उनके मानसिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा श्रेष्ठतम प्रयास किए जाएंगे। प्राथमिक पाठशाला में बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी अनौपचारिक योजना बनाने का दायित्व राज्य सरकार का होगा।

जहाँ तक नियोजनों में नियोजित बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के मानकों को प्रश्न है तो भारतीय विधि के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है। कि अनेक नियोजनों में नियोजित बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी भारतीय कानून उपयुक्त है। किन्तु गैर- औद्योगिक व्यसायों में नियोजित बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के सम्बन्ध में भारतीय कानून में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जबकि कारखाना अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य किया गया है। जबकि खदान के ऊपर कार्य करने वाले बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है।

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र जनसंख्या और गरीबी के अतिशय दबाव में रहते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अनुपालन के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध है। इसके निमित्त उसने सार्थक कदम भी उठाए हैं। और विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में अन्य राष्ट्रों से कदम मिलाकर चलने को अग्रसर भी हुआ है किन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि अपने सभी प्रयत्नों के बालजूद अभी तक वह अन्तर्राष्ट्रीय नीति समुदाय को चाहिए कि वे भारत विशेष की परिस्थितियों को समझते हुए इसके प्रति लचीला दृष्टिकोण अपनाएँ तथा अन्तर्राष्ट्रीय दबाव सृजन के स्थान पर सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएँ।

¹ भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के निति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 51

6. अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण एवं विकास बैंक (विश्व बैंक) तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आई0 एम0 एफ0):

इस संस्था का उदय सन् 1944 में ब्रेटनवुडस से दो अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन दोनों वित्तीय निकायों की स्थापना सन् 1945 में हुई। वही देश विश्व बैंक का सदस्य हो सकता है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य देश होता है। इस प्रकार दोनों ही संस्थाओं की सदस्यता साथ-साथ चलती है। वर्तमान में 180 देश विश्व बैंक के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। सम्पूर्ण विश्व के अर्थ-प्रबन्धन तथा उनके उचित विनिमय और विनियोग का उत्तरदायित्व इन दोनों अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर है। विश्व बैंक सदस्य राज्यों के आर्थिक सुविधाओं के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा देने के लिए अतिरिक्त विश्व बैंक के कतिपय अन्य सामाजिक लक्ष्य भी हैं। जिसमें बालश्रम का उन्मूलन भी सम्मिलित है। विश्व में बालश्रम को कम करने तथा खत्म करने में प्रभावित देशों की सहायता करने की प्रतिबद्धता इसके अधिकाधिक दस्तावेजों में परिलक्षित है। गरीबी को बालश्रम का मुख्य कारण मानने वालों तर्कों के अतिरिक्त विश्व बैंक ने बालश्रम के विश्वव्यापी उन्मूलन में जो उत्तरदायित्व निभाए है। वो सराहनीय है। सीधे आर्थिक मदद की बात हो अथवा अपने कार्यक्रमों आदि के माध्यम से सामान्य जनचेतना जागृत कराने की बात हो विश्व बैंक बालश्रम उन्मूलन के किसी भी प्रयास से पीछे नहीं रहा है। विश्व बैंक ने बालश्रम को भारत के लिए अपने एजेण्डे में प्रमुखता प्रदान की है। भारत में बालश्रम की गम्भीरता को देखते हुए विश्व बैंक ने विकास के मुद्दे के रूप में इस पर गम्भीरता से सोचना आरम्भ कर दिया। भारत में बालश्रम के बढ़ते आँकड़ों ने भारत के सन्दर्भ में विश्व बैंक की सहयोगात्मक कियाशीलता को भी बढ़ा दिया है। इस प्रकार जनवरी 2003 के प्रथम सप्ताह में प्रकाशित हुई स्वयं विश्व बैंक की वर्ष 2002-2003 की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है। कि भारत में 6 करोड़ से भी अधिक बालश्रमिक मौजूद हैं। जो कि विश्व के किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक है। इन 6 करोड़ बालश्रमिकों में डेढ़ करोड़ बधुवा मजदूर हैं।

7. संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को):

इस संगठन की स्थापना 4 नवम्बर 1946 को लन्दन में हुए सम्मेलन के द्वारा विधान बनाकर की गई है। इसे 14 दिसम्बर 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जोड़ दिया गया। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इस प्रकार इस संस्था का मूल उद्देश्य शान्ति एवं सुरक्षा के लिए योगदान करना है। जिनकी पूर्ति हेतु यह शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के द्वारा राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना के निर्माण को सर्वश्रेष्ठ उपाय मानती है। सन् 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा बाल अंगीकृत कर लिए जाने के बाद से संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को अंगीकृत कर लिए जाने के बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग समस्त अभिकरणों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे बालकों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करें तथा बालकों की शोषण से रक्षा के कर्तव्य को अपने-अपने क्षेत्र की कार्य प्रणाली में जहाँ तक हो सके। शामिल करने का प्रयास किया गया है²। अतः अपने इस नैतिक कर्तव्य का अनुपालन करते हुए युनेस्को ने बच्चों के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक देखभाल की बीड़ा उठाया। समुचित शिक्षा के अभाव को बालश्रम का मूलभूत कारक तत्व मानते हुए युनेस्को ने बच्चों के बारे में सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पर इसके प्रयत्नों में सम्मिलित है। राज्यों को राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रमों और बड़े पैमानों पर साक्षरता कार्यक्रमों और बड़े पैमानों पर साक्षरता मार्गदर्शक कार्यक्रमों के विकास के लिए सहायता प्रदान करना ऐसी सहायता वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा उपबन्ध कराए गए कोषों से करता है। युनेस्को की सहायता शैक्षणिक कार्यक्रमों अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कम खर्च वाले विधालयों के निर्माण, पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण और उच्च स्तर की पाठ्य-पुस्तकों को तैयार करने आदि के लिए दिया जाता है।

² g;weu jkbV~l & DoslUI ,M ,UIIZ % ekuo vf/kdkjksa dh lkoZHkkSfed /kks'k.k dh 20oh o'kZxkWB ds miy{; esa izdkf'kr la;qDr jk'V^a la/k ds }kjk izdkf'kr laLdj.k 1968 ds iz'B la{;k 40

8. विश्व व्यापार संगठन:

विश्व व्यापार को नियमित करने के उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई है। इसका मुख्यालय जेनेवा शहर में है। यह संस्था विभिन्न परिषदों और समितियों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धों से जुड़े उन 28 समझौतों को लागू करता है। जिसे उरुग्वे की वार्ता में शामिल किया गया था और 1999 में मोरक्को के मरकिश में पारित किया गया था। साथ ही यह संगठन अनेक बहुपक्षीय समझौते को और भी लागू कराता है। विश्व व्यापार संगठन इस बात को स्वीकार करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के सभी व्यापारिक सहभागियों द्वारा श्रम तथा पर्यावरण मानकों को अंगीकार किया जाना चाहिए। श्रम के मान्यता प्राप्त मानकों में बालश्रम को कभी अंगीकार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में विश्व व्यापार संगठन ने यह धमकी दी है कि श्रम के मानकों का पालन न होने की स्थिति में विकसित व विकासशील देशों में होने वाले परस्पर आयात-निर्यात पर लगाए जा सकते हैं। जो श्रम-मानकों का पालन न करने वाले देशों के लिए महंगे पड़े। ह्यूमन राइट्स - क्वेसन्स एण्ड एन्सर्स : मानव अधिकारों की सार्वभौमिक धोषण की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र संधि के द्वारा प्रकाशित संस्करण 1968 के प्रष्ठ संख्या 40 यद्यपि विश्व भर में विभिन्न स्वरूपों में बालश्रम की मौजूदगी के कारण सभी पर एक ही तरह का सख्त मानक थोपना किसी देश विशेष के प्रति अभ्यास कारक भी हो सकता है। वहाँ किसी के प्रति अत्यन्त ही लाभकारी थी। ऐसा भी हो सकता है कि यदि विकासशील देशों का महंगे श्रम मानकों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाए तो ऐसा करना उनकी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। दिसम्बर 1999 में सिएटल (अमेरिका) में विश्व व्यापार संगठन की बैठक में 2 दिसम्बर 1999 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल-क्लिंटन ने उस अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिया जिसके अन्तर्गत बालश्रम पर प्रतिबन्ध लगाने की बात निहित है। इस प्रकार इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले विकसित देशों के वे प्रथम राष्ट्राध्यक्ष बन गए। अब आवश्यकता है कि अन्य राष्ट्रों द्वारा दृढ-संकल्प के साथ इसका अनुगमन किया जाए।

9. मुक्त श्रमिक संधि का अन्तर्राष्ट्रीय परिसंघ:

इस परिसंघ की प्रथम रूप से लंदन में दिसम्बर 1949 को हुई थी। इसका संविधान संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व श्रमिक संधि के साथ सहयोग करना है। यह संधि श्रम करने वाले लोगों के हितों के लिए तथा उनकी पहचान स्थापित करने के लिए कार्यरत है। यह परिसंघ विश्व के 145 देशों के 215 देशों राष्ट्रीय श्रमिक संधि के लगभग 125 करोड़ श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है।

10. श्रमिकों संधि का विश्व महासभा:

इसकी स्थापना 1945 में लंदन एवं पेरिस में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संधि सम्मेलन द्वारा की गई थी। यह श्रम संधि के हितों को देखता है। तथा इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेता है। इसकी उपस्थिति विश्व में 30 देशों में है। महासंधि का मुख्यालय प्राण (चेक गणराज्य) में है।

11. यूरोपीय श्रमिक संधि परिसंघ:

इसकी स्थापना सन् 1973 में हुई थी। इसे यूरोपीय संधि तथा इफटा की मान्यता हासिल है। यह यूरोप में एकमात्र अन्तर क्षेत्रीय श्रमिक संगठन है। इसके पास 34 यूरोपीय देशों तथा 12 यूरोपीय उद्योगों संधि के 68 राष्ट्रीय श्रमिक संधि की सदस्यता है। यह यूरोप में श्रमिकों के हितों में कार्य करने वाला संगठन है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है।

12. संचार एजेन्सी व संसाधनों की भूमिका:

उक्त सहयोगी संस्थाओं के अतिरिक्त विश्वभर में अनेकों ऐसी संचार एजेन्सियाँ सूचना प्रौद्योगिकी और जनसंचार आदि माध्यमों से सामाजिक जागरूक विकसित करने की दिशा में सतत प्रयत्नशील है। इसमें मुख्य रूप से है। बी0 ओ0 ई0 एस0 एवं सी0 आर0आई0 एन0 डी0 ए0 डब्लू0 इत्यादि।

13. बी0 ओ0 ई0 एस0:

यह बच्चों के अधिकारों के प्रचार कार्य में संलग्न एक गैर-लाभार्थी संस्था है यह अपने संचार -तंत्र के जरिए बाल अधिकार अभिसमय के सम्पूर्ण मूल-पाठ को विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध करा रही है।

14. बालश्रम उन्मूलन में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा किये गये प्रयास:

बालश्रम की विभीषिका ने अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर इस चर्चा को काफी महत्वपूर्ण बना दिया है। यद्यपि कि अभी भी इस दिशा में कोई एक विश्वमत कायम करना बाकी है। जो कि ओस्लो सम्मेलन के परिणाम से स्पष्ट हो जाता है कई सरकारों को ऐसा मानना है कि गैर-सरकारी संगठनों कुछ हद तक अवश्य प्रभाव पड़ेगा। पश्चिमी तथा व्यापारिक संघों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। इन व्यवधानों के बावजूद यदि ओस्लों सम्मेलनों में बालश्रम एजेंडा सामने लाया जा सकता है। तो सिर्फ इसलिए कि इस दिशा में नार्वे की सरकार ने पुरी सुरक्षा प्रदान करने की बात कही तथा भारत सरकार ने इस हेतु कई देशों को राजी कराने में महत्वपूर्ण सफलता पाई। बालश्रम समस्या के विश्वव्यापी विस्तारात्मक आयाम को रोकने और समस्या के उन्मूलन के लक्ष्य को केन्द्रीभूत कर विश्व मंच पर काफी चर्चाएँ और सम्मेलन हुए जिन्हें निरर्थक नहीं तो बहुत सार्थक भी नहीं कहा जा सकता। विश्व के तथाकथित विकसित और विकासशील लगभग प्रत्येक राष्ट्र में यह समस्या व्याप्त है किन्तु समस्या के विरुद्ध पहल के मुद्दे पर अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर एकमत का अभाव सदैव बना ही रहता है मूल कारण जो भी रहो हो (किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि एकमत के अभाव के कारणों में राष्ट्रों का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ ही बीच में आता है। कई देश इसे समाप्त करने की बात तो करते हैं। लेकिन इस हेतु समय-सीमा के निर्धारण पर वे मौन धारण कर लेते हैं जो निश्चय ही उनके आशय को सन्देश के धरे में लाता है। विगत दो दशकों के अनेकों प्रयास के बाद में मात्र यह परिवर्तन आया है। कि सम्पूर्ण विश्व के जनमत के द्वारा बालश्रम को एक बुराई तथा अमानवीय प्रथा के रूप में स्वीकार किया अन्यथा आज से लगभग डेढ़-दो दशक पूर्व तक इसे एक अमानवीय कुरीती के नाते शायद ही कोसा जाता था³। अनवरत असफलता के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बालश्रम का मुद्दा कभी फीका नहीं पड़ा। क्योंकि बालश्रम की समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में एम्सटर्डम सम्मेलन फरवरी 2001 में ओसियो सम्मेलन अक्टूबर 2002 तथा स्टॉकहोम सम्मेलन अगस्त 2003 हुआ है। ये सम्मेलन बालश्रम उन्मूलन हेतु विश्व जनमत तैयार करने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं।

15. बालश्रम के सतत उन्मूलन पर चतुर्थ वैश्विक सम्मेलन ब्युनस आयर्स 14-16 नवम्बर 2017:

बालश्रम के सतत उन्मूलन पर चौथा वैश्विक सम्मेलन अर्जेंटीना सरकार के आयोजित किया गया और जिसे 14-16 नम्बर 2017 को ब्युनस आयर्स में आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार बालश्रम के सभी रूपों के खिलाफ या बालश्रम के सम्पूर्ण उन्मूलन के वैश्विक -स्तर पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई और सन् 1997 से विश्व भर के देशों ने अपनी राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के शहरों जैसे ओस्लों में बालश्रम को सम्पूर्ण उन्मूलन के लिए अपने देश के राष्ट्रीय विधि में बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जबकि अगर बालश्रम के विश्व -स्तर पर उन्मूलन की बात की जाये तो विश्व के विभिन्न संस्थाओं के द्वारा अनेक पूर्वगामी प्रयास किये गये हैं जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा सन् 2000 से 2012 तक समय-समय पर बालश्रम

³ pk.kD; flfoy lfoZlst VqMs tuojh 2004 ds iz'B la[k 34

के उन्मूलन के। चाणक्य सिविल सर्विसेज टुडे जनवरी 2004 के प्रष्ठ संख्या 34 एकीकृत रणनीति व समितियाँ बनाई गयी जो कि अपनी -सिफारिश भेजता रहता है। तथा वर्ष 2030 तक एजेडा के सतत विकास लक्ष्यों के तहत . संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों . नियोक्ताओं और श्रमिकों के संगठनों साथ ही नागरिकों एवं समाज संगठनों से 2025 तक बालश्रम को खत्म करने और मजबूर श्रम आधुनिक दासता और मानव तस्करी को खत्म करने का आग्रह किया गया है।

16. बालश्रम उन्मूलन हेतु संयुक्त राष्ट्र संधि के सतत प्रयास:

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक धोषणा जिसे संयुक्त राष्ट्र संधि की महासभा ने 30 दिसम्बर 1948 को अंगीकृत किया गया है यह एक प्रकार से बच्चों के संरक्षण के लिए कतिपय उपाय अंगीकृत किये। इसमें सभी देशों और सभी लोगों के लिए उपलब्धि के एक सामान्य मानक के रूप में अंगीकार किया गया इसमें यह स्पष्ट किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संधि के सभी सदस्य देशों का यह दायित्व है कि वे बच्चों की सुविधा सहायता तथा विशेष सुरक्षा का प्रबन्ध करें। यह प्रावधान कही न कही प्रत्येक देश को इस धोषणा में सन्निहित सभी अधिकारों और स्वतन्त्रताओं को प्राप्त करने का हक देता है। और इस सम्बन्ध में जाति , वर्ण लिंग . भाषा . धर्म राजनैतिक या अन्य विचार -प्रणाली किसी देश या समाज या राज्य विशेष में जन्म . सम्पति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संधि ने अपने सुधारात्मक और संरक्षणात्मक उपायों को और भी गतिशील बनाते हुए 1959 में संयुक्त राष्ट्र संधि ने एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल की तथा 20 नवम्बर 1959 को बच्चों के अधिकारों की धोषणा को अंगीकार किया। तथा संयुक्त राष्ट्र संधि की यह एक सार्थक पहल सम्पूर्ण विश्व को मानव समुदाय के लिये एक प्रकार से मील का पत्थर साबित हुई। 20 नवम्बर 1959 को संयुक्त राष्ट्र संधि ने सर्वसम्मति से बच्चों के अधिकारों से सम्बन्धित प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तथा संयुक्त राष्ट्र संधि की महासभा ने मानव के मूल अधिकारों एवं व्यक्ति विशेष की गरिमा एवं महत्व के प्रति अपने विश्वास को पुनः दुहराते हुए निर्णय संख्या 14 के आधार पर सभी के लिए सामाजिक प्रगति तथा समुचित स्वतन्त्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया तथा साथ ही साथ मानवाधिकार के सार्वभौमिक धोषणा में जाति , लिंग . भाषा . धर्म . राजनीति के आधार पर विभेद न करने सम्बन्धी जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार सभी को प्रदान किया गया।

इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चों को शारीरिक और मानसिक सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदान किए गए। अतः संयुक्त राष्ट्र संधि का यह प्रस्ताव यह कहता है कि एक बच्चा अपने शारीरिक कारणों तथा मानसिक रूप से परिपक्व न होने के कारण विशेष सुरक्षा तथा देखभाल की अपेक्षा रखता है। अतः उसे जन्म से पहले तथा बाद में भी विशेष कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए समस्त - मानव समुदाय का यह कर्तव्य है कि उन बच्चों को अधिकार देना जो जीवन जीने के और समाज में स्वतन्त्रता के अधिकार का उत्तरदायित्व माता-पिता तथा परिवार के अन्य स्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों एवं क्षेत्रीय संगठन राष्ट्रीय सरकारों को दिया गया ताकि साथ ही बच्चों के सम्बन्ध में सम्बन्धित कानून बनाने के अधिकार भी दिए गए। बच्चों के अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संधि के उद्घोषणा प्रपत्र में 10 मार्गदर्शक सिद्धान्त अर्न्तविष्ट किए गए तथा माता-पिता से यह अपेक्षा रखता है वे इन दस सिद्धान्तों की अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित कदम उठाये। संयुक्त राष्ट्र संधि के उद्घोषणा प्रपत्र में अर्न्तविष्ट किए गए 10 मार्गदर्शक सिद्धान्त निम्नलिखित है।

- (1). प्रत्येक बच्चे को बिना किसी आपत्ति के अपने सभी अधिकारों का लाभ मिलें।
- (2). बच्चों को विशेष संरक्षण प्राप्त हो। उन्हें कानूनों एवं अन्य साधनों से आगे बढ़ने के अवसर तथा सुविधाएँ मिले जिसमें उनका शारीरिक . मानसिक व नैतिक व आध्यात्मिक एवं सामाजिक विकास स्वस्थ तथा सामान्य रूप से स्वतन्त्रता एवं गरिमा के साथ हों सकें।
- (3). बच्चे को जन्म से ही उसका एक नाम तथा राष्ट्रियता प्राप्त हो जानी चाहिए।

- (4). बच्चों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलना चाहिए। उसकी माँ एवं उसकी विशेष सुरक्षा एवं देखभाल हो जिसमें प्रसव से पूर्व एवं प्रसव के बाद की देखभाल भी सम्मिलित है बच्चे को उचित पोषण आहार , आवास मनोरंजन एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि उपयुक्त मात्रा में इसका भी उसे भी अधिकार होगा ।
- (5). जो बच्चा शारीरिक . मानसिक या सामाजिक रूप से विकलांग या अशक्त है। उसे उसकी स्थिति के. अनुरूप विशेष चिकित्सा शिक्षा एवं देखभाल की आवश्यकता होगी , जो उसे प्रदान की जानी चाहिए ।
- (6). बच्चा प्यार एवं अपनापन चाहता है उसे जब कभी एवं जहाँ कहीं भी बड़ा होना है तो उसके माता-पिता अपना उत्तरदायित्व पुरे तरह से निभाते हुए उसकी देखभाल करें। उसे वहाँ अपनेपन , चारित्रिक विकास, शारीरिक एवं भौतिक सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध होना चाहिए ।
- (7). बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जो कि निःशुल्क एवं उसके लिए आवश्यक है। विशेषकर शुरू की स्थिति में । उसे समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने का बराबरी का अवसर प्राप्त होना चाहिए । ताकि इसकी योग्यता उसमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता तथा उसमें चारित्रिक व नैतिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो सके। जो उसे समाज का उपयोगी सदस्य उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो सके । जो उसे समाज का उपयोगी सदस्य बनाने में सहयोग दे सके ।
- (8). सुरक्षा एवं मदद की स्थिति में बच्चा पहला अधिकार रखता है चाहे कैसी भी परिस्थिति हो ।
- (9). बच्चे को हर प्रकार की कुरता एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसे किसी भी रूप में अवैध कार्यों हेतु प्रयोग नहीं करना चाहिए ।
- (10). ऐसे सभी व्यवहारों से बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाए जो जाति धर्म या किसी अन्य रूप से बच्चों में उसके प्रति भेदभाव की भावना उत्पन्न करते हुए हो। उसका विकास इस प्रकार से एवं इन भावनाओं के अरन्तगत किया जाए । जिससे उसके सूझ-बुझ सहन-शक्ति , मातृ प्रेम एवं पूर्ण सहमति के गुण आ सके। ताकि उसके अन्दर छिपी शक्ति एवं गुणों को मानव सेवा हेतु काम में लिया जा सके।

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल हितों एवं मानवाधिकार सम्बन्धी उक्त प्रावधान एक नए दृष्टिकोण को परिलक्षित करते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व और इसके दौरान के अनुभवों का उल्लंघन उन शासकों के द्वारा हुआ जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को चुनौती दी। यद्यपि इन धोषणाओं को तब इस रूप में नहीं देखा गया कि वे सदस्य राज्यों पर विधिक दायित्व अधिरोपित करेगी । किन्तु आज यह माना जाता है। कि धोषणा ने प्रथागत विधि का बल प्राप्त कर लिया है। अतः यह उन राज्यों पर भी बाध्यकारी हो गया है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं उक्त समझौते अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्वरूप बन गया और विश्व के 30 राष्ट्रों ने उसका अनुमोदन किया⁴ ।

17. बच्चों के अधिकारों से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 नवम्बर 1989 को पारित कन्वेंशन:

इस समझौते में शामिल देश यह मानते हैं संयुक्त राष्ट्र धोषणा -पत्र के सिद्धान्तों के अनुसार समुचे मानव -समुदाय की अंतर्निहित गरिमा और सभी के समान अधिकारों की यह मान्यता ही विश्व में स्वाधीनता न्याय और शान्ति का आधार है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र धोषणा -पत्र को मानने वाले राष्ट्रों ने मूलभूत मानव अधिकारों और मानवीय गरिमा तथा सम्मान के प्रति आस्था व्यक्त की है। तथा व्यापक स्वाधीनता के वातावरण में सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर मानकों को बढ़ावा देने को संकल्प व्यक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी धोषणा तथा मानव अधिकार की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में यह धोषणा की गई है कि हर व्यक्ति को जाति वर्ण . लिंग . भाषा . धर्म . राजनीति अथवा अन्य राय , राष्ट्रीय अथवा सामाजिक उद्भव, सम्पत्ति , जन्म . या हैसियत जैसे किसी भी भेदभाव के बिना इस धोषणा और प्रसंविदा में प्रदत्त अधिकार और स्वीधानता प्राप्त है। मानव अधिकारों की विश्वव्यापी धोषणा के अर्न्तगत संयुक्त राष्ट्र ने यह कहा कि बचपन को विशेष ध्यान और सहायता की आवश्यकता है । तथा परिवार समाज का मूलभूत समूह है. और सभी सदस्यों को बच्चों के विकास और खुशहाली के लिए इसे आवश्यक संरक्षण और सहायता मिलनी चाहिए

⁴ gUQh tku ih0 Mh0 ;qfuolZy fMDyjs''ku vkQ g;qeu jkbV~l bEiSDV ,M tsfMfI;y dSjDVj jkepUnzu ch0 th0 lEikfnr& g;qeu jkbV~l btZl vkQ ;qfuolZy fMDysjs''ku ¼41979½ laLdj.k iz'B laI;k 57

ताकि वह समाज में अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभा सके। और बच्चे को यह समझते हुए कि बच्चों को समाज में अपने विशिष्ट व्यक्तिगत रूप से जीने के लिए तैयार किया जाना चाहिए और उसका पालन-पोषण संयुक्त राष्ट्र घोषणा -पत्र के आदर्शों , एवं खासतौर से शान्ति , गरिमा , सहिष्णुता , स्वाधीनता समता और परस्पर एकता की भावना के अनुरूप होना चाहिए⁵। बाल अधिकारों की धोषणा यह कहा गया कि “शारीरिक तथा मानसिक रूप से अपरिपक्व होने के कारण , बच्चों को सुरक्षा के विशेष उपायों और देखभाल की आवश्यकता है। इसमें जनम से पूर्व तथा उसके बाद भी समुचित कानूनी संरक्षण शामिल है।

18. निष्कर्ष:

इस प्रकार निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है। कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के ढाँचे के रूप में जो कि बाल अधिकारों के मुद्दों को मानव की मूलभूत अधिकारों की परिधी के अर्न्तगत इसे लाना एक प्रकार से बाल अधिकारों के विकास में एक सार्थक पहल है। इस परिप्रेक्ष्य में एक बात यह निकलकर सामने आती है कि बच्चों को कैसे एक व्यक्ति के रूप में समाज में स्थान मिले और उन्हें कैसे सामाजिक न्याय की परिधी के भीतर बाल अधिकारों के लिए क्या किया जाय ताकि सम्पूर्ण विश्व से बालश्रम उन्मूलन हो सके। जिससे की उनका शारीरिक व मानसिक विकास हो सकें। बालश्रम की समस्या के कारण ही बच्चा पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाता है जिससे की उसका सम्पूर्ण सामाजिक विकास अवरूद्ध हो जाता है। विशेष रूप से उसे विशेष कानून की जरूरत पड़ती है जन्म से पूर्व तथा उसके बाद ताकि उसका नैसर्गिक विकास हो सकें। समस्त मानव- समुदाय का यह कर्तव्य है कि उन बच्चों को सुखद जीवन जीने और समाज में स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें देने की जिम्मेदारी लेनी होगी जिसमें प्रमुख रूप माता-पिता परिवार , समाज व राज्य तथा राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय संगठनों के सतत प्रयासों से ही बालश्रम की समस्या का निदान हो सकेगा | जिससे कि समाजिक समस्या के रूप में इसने जो भी पहचान बनाई है उसे दूर किया जा सकता है।

अतः इस प्रकार यह समझ सकते हैं। कि बालश्रम की समस्या का समाधान केवल राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों एवं धोषणा -पत्रों से ही नहीं हो सकता है बल्कि इस सामाजिक समस्या के समाधान सम्पूर्ण समाज को बौद्धिक-स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है इस बात से भी इन्कार नहीं कर सकते हैं कि एक उम्र के बच्चों को मजदुरी नहीं करनी चाहिए बल्कि उसकी आर्थिक विवशता से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन वास्तविक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर समाज व विश्व से जब तक भुखमरी , बेगारी , व गरीबी , आर्थिक विवशता का मानव समाज के द्वारा जब तक इसका अन्त नहीं होगा तभी बच्चों को अपना बचपन बचाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से कई संस्थाओं द्वारा बालश्रम के सम्पूर्ण उन्मूलन एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास से सम्बन्धित अनेक प्रयास किए गए हैं।

⁵ Ekgkohj tSu % ckyJe fodkl dk eq|k izFke laLdj.k 2010 ds iz'B la[;k 373

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. जे0 सी0 कुलश्रेष्ठ “चाइल्ड लेबर इन इण्डिया ” संस्करण 1978
2. अमित बोहरा “बालश्रम एवं अधिकार ” संस्करण 2014
3. सुभाष शर्मा ” भारत में बाल मजदूर” तृतीय संस्करण 2010
4. महावीर जैन “बालश्रम विकास का मुद्दा ” प्रथम संस्करण 2010
5. नरूला एवं तम्बोली “बाल विधियाँ “ संस्करण 2020
6. डा0 जय नारायण पाण्डेय ” भारत का संविधान” संस्करण 2019
7. डा0 निशा जैन “असंगठित क्षेत्रों में बाल मजदूर ” संस्करण 2021
8. कैलाश सत्यार्थी “आजाद बचपन की ओर ” संस्करण 2019
9. रवि प्रकाश यादव ” बालश्रम समस्या एवं समाधान ” संस्करण 2012
10. डा0 शिव शंकर सिंह “बच्चों के विरुद्ध अपराध एवं किशोर अपराध ” संस्करण 2018
11. डा0 बसन्ती लाल बाबेल “महिला एवं बाल कानून ” संस्करण 2017
12. डा0 एस0 के0 कपूर “मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि ” संस्करण 2016
13. डा0 टी0 पी0 त्रिपाठी “मानव अधिकार ” एक परिचय ” संस्करण

